

उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1

संख्या-1137 / सत्ताईस-1-2017-6अवमानना / 15

लखनऊ दिनांक: / अप्रैल, 2017

विज्ञप्ति

125

निर्देश याचिका सं०-460/2010 बी०एन० श्रीवास्तव बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2014 के अनुपालन में शासन के आदेश संख्या-3082/सत्ताईस-1-2016-6अवमानना/15, दिनांक 15.03.2017 द्वारा दिनांक 11.11.2014 से दिनांक 14.01.2016 तक की अवधि के लिए सृजित अधीक्षण अभियन्ता के 01 (एक) अधिसख्य पद के सापेक्ष श्री बीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव को उनके कनिष्ठ की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 11.11.2014 से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नोशनल पदोन्नति मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं०-1099(एस०बी०)/2014 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन प्रदान किये जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री बीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-13/21/89/का-1-1997, दिनांक 28.05.1997 के अनुसार वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1) / सत्ताईस-1-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 3- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- पैरोकार/अधिशाली अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-3, बलरामपुर।
- 10- समस्त अनुभाग।
- 11- गार्ड फाइल।

CE (2-1/3)
2/5/17

(प्रदीप कुमार सिंह)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

उपस्थित
Smt. A. Bhojani
3/5/17

आज्ञा से,

(राम चन्द्र यादव)
संयुक्त सचिव।

(प्रि०)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या: सीजी-50/ई-1,

दिनांक: लखनऊ: 02 मई, 2017

शासनादेश संख्या: 1234/सत्ताईस-1-2017-6अवमानना/15, दिनांक 01.5.2017
की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, 30 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता, परि0 एवं नियो0/परियोजना/यांत्रिक, सिं0 वि0, 30प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, स्तर-1/2, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जॉब), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिं0वि0, 30प्र0, लखनऊ।
10. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (ई-3)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)।
11. महासचिव, 30प्र0 अभियन्ता संघ, 96-महात्मा गांधी मार्ग, (कार्यालय लोक निर्माण विभाग, 30 प्र0), लखनऊ।

(अनिल कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य अभियन्ता (कार्मिक 1/3)